कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के सापेक्ष बजट एवं ***चौंदहवें वित्त आयोग (चौं वि आ)*** की सिफ़ारिशों एवं सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की संरचनात्मक रूपरेखा के आंकलन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध कराता है।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2018 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है।यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋणपद्धति इत्यादि की प्रमुख प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-2 विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान-वार विवरण एवं वह ढंग, जिस प्रकार सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को प्रबन्धित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय-3 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण का विवरण प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

2013-14 में उत्तराखण्ड एक राजस्व अधिशेष राज्य था। हालांकि, राज्य में 2014-15 में ₹ 917 करोड़ (स रा घ उ का 0.57 *प्रतिशत*), 2015-16 में ₹ 1,852 करोड़ (स रा घ उ का 1.05 *प्रतिशत*), 2016-17 में ₹ 383 करोड़ (स रा घ उ का 0.20 *प्रतिशत*) का राजस्व घाटा था। 2016-17 के दौरान राजस्व घाटा घटकर ₹ 383 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान स्थिति खराब हो गई और राज्य को राजस्व का घाटा ₹1,978 करोड़ (स रा घ उ का 0.91 *प्रतिशत*) था।

2013-14 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 2,650 करोड़ (स रा घ उ का 1.78 *प्रतिशत*) 2014-15 में बढ़कर ₹ 5,826 करोड़ (स रा घ उ का 3.61 *प्रतिशत*), 2015-16 के दौरान ₹ 6,125 करोड़ (स रा घ उ का 3.48 *प्रतिशत*) और 2016-17 में ₹ 5,467 करोड़ (स रा घ उ का 2.79 *प्रतिशत*) बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान, चौ वि आ द्वारा तय स रा घ उ के 3.25 *प्रतिशत* के ₹ 7,935 करोड़ (स रा घ उ का 3.65 *प्रतिशत*) पर राजकोषीय घाटा मानक लक्ष्य से अधिक था।

राज्य को 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्राथमिक घाटा हुआ था। प्राथमिक घाटा जो 2016-17 में ₹ 3,154 करोड़ (2015-16) से घटकर ₹ 1,744 करोड़ हो गया था, चालू वर्ष के दौरान बढ़कर ₹ 3,948 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटा के अस्तित्व से संकेत मिलता है कि राज्य को अपने उधार लिए गए धन पर ब्याज भुगतान करने के लिए भी धन उधार लेने की आवश्यकता होगी। इसलिए, राज्य सरकार ने अपनी ब्याज प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2017-18 में कुल ₹ 7,526 करोड़ में से ₹ 3,987 करोड़ उधार लेने के लिए मजबूर किया।

31 मार्च 2018 को उत्तराखण्ड सरकार का सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था जो विगत पाँच वर्षों के निवेश के 0.004 से 0.71 *प्रतिशत* की सीमा में था जबकि सरकार ने वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान ऋणों पर 8.13 *प्रतिशत* औसत ब्याज दर से भुगतान किया।

वर्ष 2017-18 का राजकोषीय उत्तरदायित्व का स रा घ उ से अनुपात (23.82 *प्रतिशत)*, पिछले वर्ष के अनुपात (22.84 *प्रतिशत*) की तुलना में 0.98 *प्रतिशत* बढ़ गया। यह अनुपात *चौ वि आ* द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित मापदण्ड (22.60 *प्रतिशत*) से 1.22 *प्रतिशत* अधिक था।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत दत्तमत के अधीन छः अनुदानों तथा पूंजीगत भारित के अधीन एक विनियोग में ₹ 6,413.38 करोड़ का आधिक्य था, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमित किया जाना आवश्यक था।

आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 231.51 करोड़ की धनराशि**,** 2016-17 के दौरान (₹ 156.07 करोड़) एवं 2017-18 के दौरान (₹ 75.44 करोड़) की प्रतिपूर्ति अगस्त 2018 तक नही हुई थी।

वर्ष 2005-06 से 2016-17 तक से सम्बन्धित आधिक्य व्यय ₹ 20,780.77 करोड़ को अभी तक राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमित किया जाना शेष था।

अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

विभागीय अधिकारियों द्वारा मार्च 2018 तक विशिष्ट उद्देश्यों के लिये दिये गये ₹ 164.92 करोड़ के अनुदान से सम्बन्धित 102 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया था। उक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि प्राप्तकर्ता ने अनुदानों का उपभोग अभिप्रेत उद्देश्यों के लिये कर लिया था। विभागीय प्रमुखों द्वारा उन निकायों और प्राधिकरणों, जिन्हे पूर्व वर्ष में कुल ₹ 10 लाख या इससे अधिक के ऋण

अथवा अनुदान दिये गये थे, के विवरण (अ) सहायता राशि (ब) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गयी थी एवं (स) निकाय और प्राधिकरण के कुल खर्चे को दर्शाते हुए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नही किये जा रहे थे। इस प्रकार संस्थान, जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जा सकती है, को यथायोग्य चिन्हित नही किया जा पा रहा था। प्राप्ति व व्यय की पर्याप्त धनराशि को उपयुक्त लघुशीर्ष में दर्शानें की बजाय लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय'और '800-अन्य प्राप्तियाँ' में दर्शाया गया था। इसने वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता को विपरीत रूप से प्रभावित किया।